

प्रारूप

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क.44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन स-निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र ।


1. सोसायटी का नाम व पूरा पता:- श्री दिगम्बर राव तिजारे बाल कल्याण समिति, शाजापुर (म.प्र.)
2. पंजीयन क्रमांक तथा तारीख :- 6169/77, दिनांक 29.12.1977
3. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मिलन की तारीख :-.....08 जुलाई, 2020.....
4. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची कार्यकाल तारीख:-.....08 जुलाई, 2020 से 07 जुलाई, 2022 तक
5. वर्तमान प्रबंधकार्यकारिणी सदस्यों की सूची:-

सदस्य	पिता/पति का नाम	पद	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
दिलीप भवर	श्री स्व.श्री भगवताराव भवर	अध्यक्ष	अभिकर्ता	स्टेशनरोड, शाजापुर	
श्री हेमलता व्यास	श्री नरेन्द्रमोहन व्यास	उपाध्यक्ष	शास.सेवानिवृत्त	नीमवाडी शाजापुर	
ज्योतिप्रकाश माथुर	स्व.श्री रामनारायण माथुर	मंत्री	शासकीय सेवा	लालपुरा, शाजापुर	
घनश्याम पाटीदार	श्री नन्दकिशोर पाटीदार	सहमंत्री	शासकीय सेवा	काशीनगर शाजापुर	
विपुल बिडवाले	श्री विजय बिडवाले	कोषाध्यक्ष	आयकर सलाहकार	सोमेश्वरमार्ग शाजापुर	
प्रदीप सोनी	श्री सुरेशचन्द्र सोनी	सदस्य	व्यवसायी	किला रोड शाजापुर	
विशाल जाटव	श्री प्रमूलाल जाटव	सदस्य	व्यवसायी	महुपूरा, शाजापुर	
विवेक शर्मा	श्री रघुनन्दन शर्मा	सदस्य	अभिभाषक	शरदनगर शाजापुर	
प्रकाश रोकडे	स्व.श्री भास्करराव रोकडे	जिला प्रतिनिधि	शास.सेवानिवृत्त	सोमवारियाबाजार शाजापुर	
सत्यनारायण पाटीदार	स्व.श्री बद्रीप्रसाद पाटीदार	पालक प्रतिनिधि	शासकीय सेवा	विघ्नेश्वर नगर,शाजापुर	
सुरेन्द्र जोशी	स्व.श्री गोपाल जोशी	पदेन सदस्य	प्राचार्य	विजयनगर शाजापुर	
प्रजेश बिबदी	स्व.श्री जोगानिकुंठु बिबदी	प्राचार्य	प्राचार्य	मुखर्जीनगर देवारा	

6. मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क.44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन रु. 2000/- की वार्षिक फीस, चालान कं. sbin0006159.-14750207202034303.....दिनांक. 02 जुलाई, 2020.....के द्वारा जमा कर दी गई है, उसकी मूल प्रति संलग्न है ।

घोषणा पत्र

मैं ज्योतिप्रकाश माथुर पिता स्व. श्री रामनारायण माथुर आयु लगभग 56 वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसायटी के अभिलेख वा आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी सोसायटी के अभिलेख मुझे अदोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के आधिपत्य में है । मैं यह जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है । तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) अधिन दण्ड की दायी ही रहूंगा ।


 सचिव
 दिगम्बर राव तिजारे
 बाल कल्याण समिति शाजापुर